न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 57/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/74)

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
1. कुलवन्त सिंह पुत्र नायब सिंह उर्फ करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी मकान नम्बर 160, वार्ड नम्बर 09, गली नम्बर 04, पीछे डोगर बस्ती, फरीदकोट, पंजाब। 2. यादप्रीत कौर पत्नी यादवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी मकान नम्बर 160, वार्ड नम्बर 09, गली नम्बर 04, पीछे डोगर बस्ती, फरीदकोट, पंजाब। 3. यादवेन्द्र सिंह पुत्र राममूर्ति जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी मकान नम्बर 160, वार्ड नम्बर 09, गली नम्बर 04, पीछे डोगर बस्ती, फरीदकोट, पंजाब। 4. सुखप्रीत कौर पत्नी राममूर्ति जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी मकान नम्बर 160, वार्ड नम्बर 09, गली नम्बर 04, पीछे डोगर बस्ती, फरीदकोट, पंजाब।	1. लखविन्द्र कौर पत्नी रामरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 2. लवप्रीत कौर पुत्री रामरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 3. हरमन सिंह पुत्र रामरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 21.03.2025

उपस्थितः1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

—निर्णय— **दिनांकः 03.12.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 04/03 के मुरब्बा नम्बर 29, 38, 39, 40, 48/37 की कुल 6.844 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 07/06 के मुरब्बा नम्बर 30, 38, 39, 43, 48/48 की कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा में वादी संख्या 1 कुलवन्त सिंह को मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 9 ता 13 प्रत्येक सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 21, 22, 23 प्रत्येक सालम-सालम, कुल 2.024 हैक्टेयर भू पर है। इसी प्रकार वादी संख्या 2 ता 4 का कब्जा काश्त चक 8 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 2/2, 3, 4, 5 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 6, 7, 8 प्रत्येक सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3 ता 15 प्रत्येक सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1, 10, 11 प्रत्येक सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 48/37 की 0.025 हैक्टेयर, कुल 6.844 हैक्टेयर भूमि पर है। घरू वाहमी बंटवारानामा अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने-अपने रकबा पर पिछले काफी समय काश्त करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन दोनो का कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादीगण ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 1 माह पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 04/03 के मुरब्बा नम्बर 29, 38, 39, 40, 48/37 की कुल 6.844 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 07/06 के मुरब्बा नम्बर 30, 38, 39, 43, 48/48 की कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को घरू

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

वाहमी बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। इसलिए वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 04/03 के मुरब्बा नम्बर 29, 38, 39, 40, 48/37 की कुल 6.844 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 07/06 के मुरब्बा नम्बर 30, 38, 39, 43, 48/48 की कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण कुलवन्त सिंह, यादप्रीत कौर, यादवेन्द्र सिंह, सुखप्रीत कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-ःआदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 04/03 के मुरब्बा नम्बर 29, 38, 39, 40, 48/37 की कुल 6.844 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 07/06 के मुरब्बा नम्बर 30, 38, 39, 43, 48/48 की कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	कुलवन्त सिंह पुत्र नायब सिंह उर्फ करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी मकान नम्बर 160, वार्ड नम्बर 09, गली नम्बर 04, पीछे डोगर बस्ती, फरीदकोट, पंजाब।(2.024 हैक्टेयर)	8 डब्ल्यू	38	9 ता 13 21, 22, 23	1.265 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर	नहरी नहरी	10.50 6.30
2	यादप्रीत कौर पत्नी यादवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू	8 डब्ल्यू	29	2/2 3	0.088 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर	नहरी नहरी	0.73 2.39

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी

	तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी मकान नम्बर 160, वार्ड नम्बर 09, गली नम्बर 04, पीछे डोगर बस्ती, फरीदकोट, पंजाब।(0.900 हैक्टेयर)			4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.39
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.39
				6 ता 9	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.39
	यादवेन्द्र सिंह पुत्र राममूर्ति जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी मकान नम्बर 160, वार्ड नम्बर 09, गली नम्बर 04, पीछे डोगर बस्ती, फरीदकोट, पंजाब।(5.044 हैक्टेयर)		38	6, 7, 8	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
			39	3 ता 10	2.024 हैक्टेयर	नहरी	16.80
				11 ता 15	1.265 हैक्टेयर	नहरी	10.50
			40	1, 10, 11	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
			48/37		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
	सुखप्रीत कौर पत्नी राममूर्ति जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी मकान नम्बर 160, वार्ड नम्बर 09, गली नम्बर 04, पीछे डोगर बस्ती, फरीदकोट, पंजाब।(0.900 हैक्टेयर)						

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)